



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]
No. 1571

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2003/चैत्र 11, 1925
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2003/CHAITRA 11, 1925

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2003

सा.का.नि. 282(अ).—केन्द्रीय सरकार, भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा को 29 मार्च 2003 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष के लिए भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के पीड़ितों के कल्याण के लिए समवर्ती प्रभार सहित आयुक्त के वर्तमान पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 21/21/2002-भो.सेल]

रमेश इंदर सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2003

G.S.R. 282(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby appoints Justice Shri Deepak Verma, a sitting Judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the Welfare of the victims of Bhopal Gas Leak Disaster, for a period of one year with effect from 29th March, 2003 (forenoon).

[F. No. 21/21/2002-B. Cell]

RAMESH INDER SINGH, Jt. Secy.